UPMT010123352025

न्यायालय जनपद न्यायाधीश, मथुरा

स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र संख्या–426/2025

मैसर्स पार्थ रियल्टी बनाम श्रीमती सुधा शर्मा

07.04.2026

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थनापत्र 4क पर सुना।

विपक्षी पर आदेश दिनांक 10.03.2026 के माध्यम से तामील पर्याप्त मानी जा चुकी है, किन्तु विपक्षी की ओर से न तो कोई उपस्थित आया, न ही आपत्ति दाखिल की गयी।

यह स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 24 सी०पी०सी० का०सं० 4क प्रार्थी द्वारा इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी द्वारा प्रतिपक्षी के विरूद्ध दो पृथक–पृथक इकरारनामों के सम्बन्ध में खसरा संख्या 1352 स्थित मौजा महोली तहसील व जिला मथुरा के सम्बन्ध में संविदा के विनिर्दिष्ट अनुपालन के लिए दो मूलवाद क्रमशः मूलवाद संख्या 82/2025 मैसर्स पार्थ रियल्टी बनाम सुधा शर्मा जो वर्तमान में न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन, मथुरा के न्यायालय में लम्बित है तथा एक अन्य वाद संख्या 96/2025 मैसर्स पार्थ रियल्टी बनाम सुधा शर्मा जो न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन त्वरित न्यायालय, मथुरा में लम्बित है। उक्त दोनों वादों में पक्षकार समान हैं, विवाद समान है तथा सम्पत्ति भी समान है। उपरोक्त दोनों ही वादों की विषयवस्तुत एक ही है तथा विरोधाभासी निर्णय पारित हो जाने से बचने हेतु दोनों वादों को किसी एक न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाना आवश्यक है। तदनुसार पक्षकारों का समय व धन का अपव्यय बचाने एवं विरोधाभासी निर्णय पारित होने से बचाने हेतु उक्त दोनों वादों को किसी एक सक्षम न्यायालय में अंतरित किये जाने की प्रार्थना की गयी है। समर्थन में शपथपत्र 5ग तथा उक्त वादों के वादपत्र की प्रतियाँ प्रस्तुत की गयी हैं।

संबंधित न्यायालयों से प्राप्त आख्याओं के अनुसार उक्त दोनों वाद संबंधित न्यायालयों में विचाराधीन हैं।

चूंकि पक्षकारों द्वारा उक्त दोनों वाद समान सम्पत्ति के संबंध में अलग–अलग न्यायालयों में प्रस्तुत किये गये हैं, जिनमें पक्षकार भी समान हैं। उक्त दोनों वाद वर्तमान में अलग–अलग न्यायालयों में विचाराधीन है, जिनका किसी एक ही न्यायालय द्वारा विचारण/निस्तारण किया जाना उचित होगा। तदनुसार प्रार्थी का प्रार्थनापत्र 4क स्वीकार किया जाता है। मूलवाद संख्या 96/2025 मैसर्स पार्थ रियल्टी बनाम सुधा शर्मा को न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन त्वरित न्यायालय, मथुरा से वापस लेकर विधि अनुसार निस्तारण हेतु न्यायालय सिविल जज (सी०डि०), मथुरा में अन्तरित किया जाता है।

संबंधित न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वह उभय पक्ष की उपस्थिति सुनिश्चित करते हुए उक्त वादों में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करें।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(विकास कुमार–I)
जनपद न्यायाधीश, मथुरा
I.D. No. UP 1910

सन्देश वर्मा

Digitally signed by VIKAS KUMAR
Date: 2026.04.07 17:21:40 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court